भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 17

उत्तर देने की तारीख: 18.07.2022

समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य

†17. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा है जिसके लिए इसे बनाया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ख) एसएसए के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान एसएसए के तहत उन स्कूलों की राज्य-वार संख्या क्या है जिनमें कक्षाओं के उन्नयन के साथ-साथ पुस्तकालय और खेल उपकरण सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(घ) प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं की नवीनतम/मौजूदा स्कूल नामांकन दर क्या है और इस संबंध में गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की मौजूदा स्कूल नामांकन दर क्या है और माध्यमिक स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन के प्रतिशत को बढ़ाने में लगातार पिछड़ रहे राज्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना - समग्र शिक्षा की शुरूआत की है। इस योजना को अब एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी जरूरतों, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं: (i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की सिफारिशों को लागू करने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना; (ii) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना; (iii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर ध्यान देना; (iv) बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान पर जोर देना; (v) छात्रों के बीच 21वीं सदी के कौशल प्रदान करने के लिए समग्र, एकीकृत, समावेशी और गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र पर जोर देना; (vi) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के अधिगम परिणामों को बढ़ाना; (vii) स्कूली शिक्षा में सामाजिक और जेंडर अंतर को पाटना; (viii) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना; (ix) शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी)/राज्य शिक्षा संस्थानों और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) का सुदृढ़ीकरण और अपग्रेडेशन; (x) सुरक्षित, परिरक्षित और अनुकूल अधिगम वातावरण सुनिश्चित करना एवं स्कूली शिक्षा के प्रावधानों में मानकों का रखरखाव और (xi) व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अपग्रेड किए गए स्कूलों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-I में है।

(ग): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जिन स्कूलों में पुस्तकालय और खेल उपकरण की सुविधा प्रदान की गई है, उनका राज्य-वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-II और अनुलग्नक-III में है।

(घ) और (ड): शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई+) के अनुसार वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए उपलब्ध आंकड़े, प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल नामांकन दर का राज्य-वार विवरण और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की राज्य-वार वर्तमान स्कूल नामांकन दर अनुलग्नक-IV में है।

*****

अनुलग्नक-I

समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, डॉ. सुभाष रामराव भामरे, श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे और श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले द्वारा दिनांक 18.07.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

समग्र शिक्षा के अंतर्गत उन्नयन हेतु स्वीकृत विद्यालयों की राज्यवार स्थिति वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक (30 जून 2022 तक)					
क्र.सं.	**राज्य**	**प्रारंभिक**	**माध्यमिक**	**उच्चतर माध्यमिक**	**उच्च माध्यमिक जहां विषय जोड़ने की मंजूरी दी गई है**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	34	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	2	0	1	0
4	असम	2	5	18	0
5	बिहार	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	1	16	7	0
8	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	2
9	दमन और दीव	0	0	0	0
10	दिल्ली	0	0	0	0
11	गोवा	0	0	0	0
12	गुजरात	0	0	0	0
13	हरियाणा	0	0	0	0
14	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
15	जम्मू और कश्मीर	10	34	6	0
16	झारखंड	0	0	0	0
17	कर्नाटक	0	23	0	0
18	केरल	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	लद्दाख	2	7	3	0
20	मध्य प्रदेश	0	21	0	0
21	महाराष्ट्र	0	0	0	0
22	मणिपुर	39	12	15	0
23	मेघालय	2	11	8	1
24	मिजोरम	4	9	29	6
25	नगालैंड	0	0	7	0

26	उड़ीसा	0	5	57	0
27	पांडिचेरी	0	0	1	0
28	पंजाब	0	4	12	189
29	राजस्थान	229	0	3	307
30	सिक्किम	0	3	5	1
31	तमिलनाडु	0	2	1	0
32	तेलंगाना	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	10	2	3	14
34	उत्तर प्रदेश	105	125	31	890
35	उत्तराखंड	1	1	0	0
36	पश्चिम बंगाल	8	0	0	0
	कुल	**449**	**280**	**207**	**1410**

स्रोत: प्रबंध

अनुलग्नक-II

समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, डॉ. सुभाष रामराव भामरे, श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे और श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले द्वारा दिनांक 18.07.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

स्कूलों की संख्या जिन्हें पुस्तकालय अनुदान प्रदान किया गया

क्र.सं.	राज्य का नाम	2022-2023	2021-2022	2020-2021	2019-2020
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	329	329	328	328
2	आंध्र प्रदेश	44998	44802	44682	36356
3	अरुणाचल प्रदेश	2848	2896	2855	3062
4	असम	45810	45860	45966	49678
5	बिहार	75424	72467	72475	72534
6	चंडीगढ	114	114	114	114
7	छत्तीसगढ	48291	48255	48298	48301
8	दिल्ली	2697	2713	2732	2735
9	दादर और नगर - डीएनएच	397	400	400	402
10	गोवा	812	818	824	838
11	गुजरात	34805	34946	35035	35046
12	हरियाणा	14477	14386	14400	14355
13	हिमाचल प्रदेश	15328	15334	15368	15399
14	जम्मू और कश्मीर	22225	22250	22247	22451
15	झारखंड	35331	35349	35447	14219
16	कर्नाटक	47959	39543	14945	43153
17	केरल	4602	4728	4619	4723
18	लद्दाख	807	821	845	856
19	लक्षद्वीप	36	43	43	43
20	मध्य प्रदेश	98634	98883	119106	119518
21	महाराष्ट्र	65610	65158	64364	64914
22	मणिपुर	2831	2829	3023	2977
23	मेघालय	7755	7761	7754	7778
24	मिजोरम	2558	2529	2551	2541
25	नगालैंड	1923	1953	1955	2060
26	उडीसा	49960	53036	54503	54953
27	पुदुचेरी	412	412	412	414
28	पंजाब	19135	19145	19173	18950
29	राजस्थान	68455	67359	67267	66641
30	सिक्किम	838	839	769	764
31	तमिलनाडु	37392	37391	37114	9582
32	तेलंगाना	26306	28449	28646	28803
33	त्रिपुरा	4239	4258	4294	4301
34	उत्तर प्रदेश	2359	136943	161261	161190
35	उत्तराखंड	16380	16446	16632	17153
36	पश्चिम बंगाल	82731	82749	82230	82225
कुल		**884808**	**1012194**	**1032677**	**1009357**

स्रोत: प्रबंध

अनुलग्नक-III

समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, डॉ. सुभाष रामराव भामरे, श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे और श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले द्वारा दिनांक 18.07.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

स्कूलों की संख्या जिन्हें खेल और उपकरण प्रदान किया गया					
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**2022-2023**	**2021-2022**	**2020-2021**	**2019-2020**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	329	329	328	328
2	आंध्र प्रदेश	44998	44802	44682	25811
3	अरुणाचल प्रदेश	2848	2896	2855	3062
4	असम	45810	45860	45967	50132
5	बिहार	75424	72467	72475	72534
6	चंडीगढ	114	114	351	311
7	छत्तीसगढ	48292	48255	48299	48339
8	दिल्ली	2707	2719	2761	2765
9	दादर और नगर हवेली -	397	400	400	402
10	गोवा	812	818	740	838
11	गुजरात	0	34946	35035	35046
12	हरियाणा	14477	14386	14400	14355
13	हिमाचल प्रदेश	15328	15334	15368	15402
14	जम्मू और कश्मीर	24758	22250	22315	22451
15	झारखंड	15996	35349	35447	30884
16	कर्नाटक	47959	9350	10213	43493
17	केरल	4602	4728	4618	4723
18	लद्दाख	807	821	845	856
19	लक्षद्वीप	36	43	43	43
20	मध्य प्रदेश	98634	98883	119106	119518
21	महाराष्ट्र	65610	65720	0	66552
22	मणिपुर	2831	2829	3023	2977
23	मेघालय	7755	7776	7767	2292
24	मिजोरम	2558	2529	2559	2549
25	नगालैंड	1923	1953	1955	2060
26	उडीसा	49960	53036	54503	54953
27	पुदुचेरी	412	412	413	414
28	पंजाब	19135	19103	19167	19243
29	राजस्थान	68455	67359	60166	66641
30	सिक्किम	766	839	769	767
31	तमिल नाडु	37392	37391	37112	1764
32	तेलंगाना	26306	28449	28646	28803
33	त्रिपुरा	4248	4258	4303	1830
34	उत्तर प्रदेश	2359	136884	2235	161030
35	उत्तराखंड	16380	16446	16634	17153
36	पश्चिम बंगाल	82731	82749	82256	82225
कुल		**833149**	**982483**	**797756**	**1002546**

स्रोत:प्रबंध

अनुलग्नक-**IV**

समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, डॉ. सुभाष रामराव भामरे, श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे और श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले द्वारा दिनांक 18.07.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के भाग (घ) और (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सकल नामांकन अनुपात - प्राथमिक स्तर (बालिका)								जीईआर(बालिका)
	एससी				एसटी				माध्यमिक
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21
अंडमान और	-	-	-	-	112.98	114.9	111.9	99.0	79.6
आंध्र प्रदेश	89.09	100.3	106.1	109.0	93.72	106.7	113.4	115.9	83.5
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	103.19	106.5	115.1	126.6	71.3
असम	130.07	139.9	141.3	146.3	114.72	124.6	126.5	131.0	82.2
बिहार	112.83	109.5	113.6	120.0	179.01	190.5	183.5	193.7	65.6
चंडीगढ	28.98	30.6	29.4	27.5	-	-	-	-	95.4
छत्तीसगढ	102.58	104.2	105.3	104.0	94.83	94.1	93.6	93.4	89.4
दादरा और नगर हवेली और डीएंडडी	125.85	91.6	180.2	122.4	72.54	90.4	82.7	77.2	82.1
दमन और दीव	92.03	160.6	86.4	#	86.49	83.1	90.5	#	#
दिल्ली	58.59	64.1	63.7	62.0	-	-	-	-	118.1
गोवा	68.33	67.5	65.2	60.4	71.61	72.1	69.5	67.6	90.8
गुजरात	96.75	90.3	93.7	93.4	97.28	96.4	97.4	96.8	74.1
हरियाणा	105.01	107.8	107.8	105.2	-	-	-	-	93.0
हिमाचल प्रदेश	97.97	104.5	105.4	102.9	93.51	102.4	104.4	104.0	99.7
जम्मू और कश्मीर	100.27	111.5	119.5	127.6	90.44	110.5	105.1	114.2	60.1
झारखंड	113.03	116.8	111.3	110.1	108.23	110.0	109.2	106.6	65.1
कर्नाटक	102.32	105.8	104.9	103.1	101.99	106.0	105.6	105.1	89.8
केरल	97.07	99.7	100.0	99.2	96.66	103.9	98.0	97.1	97.3
लद्दाख	-	-	360.0	380.0	-	-	86.6	85.2	63.5
लक्षद्वीप	-	-	-	-	67.53	77.4	78.2	80.9	77.0
मध्य प्रदेश	95.67	98.3	96.0	94.5	89.14	92.3	90.5	88.3	69.1
महाराष्ट्र	100.76	108.6	109.3	107.7	94.71	103.7	106.8	105.9	91.3
मणिपुर	143.07	156.5	173.5	163.5	114.75	123.7	127.0	136.2	77.0
मेघालय	-	-	-	-	151.87	159.9	172.8	187.3	94.4
मिजोरम	-	-	-	-	118.18	135.5	141.8	148.8	97.2
नगालैंड	-	-	-	-	83.18	86.0	91.2	94.7	64.1
उडीसा	102.46	104.0	104.8	104.6	98.63	98.1	96.1	95.7	83.6
पुदुचेरी	88.78	93.2	91.7	92.0	-	-	-	-	81.5
पंजाब	100.71	107.1	110.5	110.0	-	-	-	-	107.7
राजस्थान	106.17	113.7	116.9	116.7	100.22	108.5	110.6	110.3	79.9
सिक्किम	140.27	148.2	149.1	158.1	85.51	90.8	91.6	94.5	94.1
तमिलनाडु	103.56	105.8	105.0	105.0	112.52	110.8	110.3	112.1	92.5
तेलंगाना	104.75	118.5	122.9	120.7	94.19	100.7	103.5	101.9	92.7
त्रिपुरा	111.43	123.6	134.0	140.5	103.04	114.2	119.8	122.8	83.1
उत्तर प्रदेश	105.77	124.2	127.8	127.9	120.52	151.5	153.8	160.9	62.9
उत्तराखंड	100.91	117.6	119.3	119.1	89.88	104.5	109.5	110.4	91.8
पश्चिम बंगाल	106.55	124.4	127.2	132.0	109.24	114.4	120.9	120.3	100.8

भारत	**103.99**	**112.4**	**114.5**	**115.3**	**101.04**	**105.6**	**106.6**	**106.6**	**79.5**

स्रोत: यूडाइज+# डीएंडएन एच और दमन और दीव का एक संघ राज्य क्षेत्र में विलय (-) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग में नगण्य आबादी